प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कियान्वयन दिनांक 25.12.2000 से प्रदेश में किया जा रहा है। 2001 की जनगणना के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाईडलाईन्स के अनुसार प्रदेश की 500+ आबादी वर्ग की गैर जुड़ी समस्त अर्ह ग्रामीण बसावटों को सर्वऋतु मार्गो से जोड़ना मुख्य उददेश्य है।
- नक्सल प्रभावित जनपदों में 250+ आबादी वर्ग की गैर जुड़ी समस्त अर्ह ग्रामीण बसावटों को सर्वऋतु मार्गो से जोड़ने की अनुमन्यता प्रदान की गई है।
- इसके साथ ही जिन जनपदों में समस्त अर्ह बसावटों को आच्छादित कर लिया जाता है, उनके क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गो का उच्चीकरण भी किया जाता है।
- 2001 की जनगणना पर आधारित रोड कोरनेटवर्क के अनुसार प्रदेष की 500+ आबादी वर्ग की समस्त गैर जुड़ी अर्ह ग्रामीण बसावटों को योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपदों सोनभद्र, चन्दौली तथा मिर्जापुर में 250+ आबादी वर्ग समस्त अर्ह ग्रामीण बसावटों को आच्छादित किया जा रहा है।
- वर्ष 2013–14 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन परिवर्तित स्वरूप में किये जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। अब यह योजना पीएमजीएसवाई–2 के नाम से क्रियान्वित की जायेगी और योजना के अन्तर्गत प्रदेश में मात्र अपग्रेडेशन के कार्य ही किये जायेंगे। पीएमजीएसवाई–2 में मार्गो का चयन उनके यूटिलिटी इन्डेक्स तथा मार्गो की वर्तमान स्थिति के आधार पर किया जायेगा।
- पीएमजीएसवाई–1 में भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण था। पीएमजीएसवाई–2 के क्रियान्वयन में वित्तीय सहभागिता राज्य सरकार की 25 प्रतिशत तथा भारत सरकार की 75 प्रतिशत है।
- सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। राश्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक (नेषनल क्वालिटी मॉनीटर), राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (स्टेट क्वालिटी मॉनीटर) व सम्बधित विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर योजनान्तर्गत निर्मित व निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जाँच की जाती है एवं जहाँ–जहाँ गुणवत्ता में कमो दृश्टिगोचर होती है वहाँ कमी दूर की जाती है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गो के निर्माणोपरान्त 05 वर्श तक अनुरक्षण अनुबन्ध में प्राविधानित है। सम्बन्धित कार्यदायो संस्थाएं एवं ठेकेदार इस हेतु उत्तरदायी हैं। अनुरक्षण पर व्यय प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। अनुरक्षण के 05 वर्श व्यतीत होने के पश्चात मार्गो को लोक निर्माण विभाग का हस्तगत कर दिया जाता है। तत्पश्चात् उनका रख–रखाव ग्रामीण मार्ग अनुरक्षण नीति के अनुसार किया जाता है।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी, सूचनाएं आदि योजना हेतु समर्पित वेबसाईट www.pmgsy.nic.in and omms.nic.in पर उपलब्ध है।